डिजीटल लॉकर सिस्टम क्या है?

1. डिजीटल लॉकर सिस्टम (*https://digitallocker.gov.in*) को इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है।
2. डिजीटल लॉकर सिस्टम को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिजीटल इण्डिया प्रोग्राम के तहत दिनांक 01 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ किया गया है।
3. डिजीटल लॉकर सिस्टम के अन्तर्गत कोई भी भारतीय नागरिक अपने अभिलेखों को डिजीटल प्रारूप में संरक्षित रख सकते है।
4. डिजीटल लॉकर सिस्टम 01 जी.बी. का व्यक्तिगत स्टोरेज स्पेस उपलब्ध कराता है।
5. डिजीटल लॉकर खोले जाने के लिये नागरिक के पास मोबाईल नम्बर होना अनिवार्य शर्त है। डिजीटल लॉकर खोले जाने के उपरान्त नागरिक द्वारा अपना आधार नम्बर अपनी सहमति से लिंक किया जा सकता है।
6. डिजिटल लॉकर में नागरिक अपने सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे–ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र, पासपोर्ट, जन्म या शादी का प्रमाण पत्र इत्यादि को इस लॉकर में संरक्षित कर सकता है।

डिजीटल लॉकर सिस्टम की उपयोगिता?

1. डिजीटल लॉकर सिस्टम के माध्यम से कोई भी भारतीय नागरिक अपना डिजीटल एकाउन्ट सृजित कर अपने प्रारूप अभिलेखों (पैन कार्ड, डिग्री, प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स इत्यादि) को डिजीटल फार्म में संरक्षित रख सकता है।
2. डिजीटल लॉकर पर एक बार अपने अभिलेखों को अपलोड करने के बाद नागरिक कहीं से भी किसी भी वक्त अपने अभिलेखों को इन्टरनेट के माध्यम से अपने डिजीटल लॉकर से प्राप्त कर सकता है और ऑनलाईन आवेदन के दौरान उन्हे साझा कर सकता है।
3. यह सिस्टम मूल दस्तावेजों को साक्षात्कार इत्यादि के लिये साथ ले जाने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुये मूल दस्तावेजों के नष्ट अथवा खो जाने की स्थिति में कमी लाता है। डिजीटल लॉकर सिस्टम के उपयोग से डाटा का संचरण एवं संचालन अत्याधिक सुरक्षित हो जाता है और यह अभिलेख पूर्णतया सुरक्षित एवं गोपनीय रखे जाते है जिसे आवश्यकता पड़ने पर एकाउन्ट होल्डर सम्बन्धित विभाग/अधिकारी को उपलब्ध करा सकता है।
4. यह सिस्टम कागज के उपयोग में कमी लाते हुये सरकारी विभागों की प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल कर पर्यावरण संरक्षण में भी उपयोगी है। डिजीटल लॉकर सिस्टम का उद्देश्य सभी सरकारी एजेन्सियों में फिजिकल डाक्यूमेन्ट्स को प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त करता है।
5. डिजीटल लॉकर सिस्टम का उपयोग करने पर अभिलेखों के वेरिफिकेशन का काम न्यूनतम खर्च में व्यवस्थित तरीके से सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ किया जा सकता है तथा इसकी सहायता से नागरिकों/आवेदनकर्ता को किसी भी आवेदन/सेवा प्राप्त करने में भौतिक अभिलेख भेजने की अनिवार्यता भी समाप्त होती है।
6. जिससे एक तरफ नागरिकों को आवेदन करने में सुविधा होती है, साथ–साथ विभागों में विभागीय काम–काज का सरलीकरण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

डिजीटल लॉकर सिस्टम की कार्यविधि:–

डिजीटल लॉकर को खोलने के लिये मोबाईल नम्बर का होना अनिवार्य है। डिजीटल लॉकर खोले जाने के उपरान्त नागरिक द्वारा अपना आधार नम्बर अ.पनी सहमति से लिंक किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हुये नागरिक अपना डिजीटल लॉकर खोल सकता है:–

1. सर्वप्रथम ***https://digitallocker.gov.in*** वेबसाईट पर क्लिक करें।
2. दिये गये स्थान पर अपने मोबाईल नम्बर को दर्ज करें।
3. डिजीटल लॉकर पोर्टल द्वारा भेजे गये वन टाईम पॉसवर्ड (ओ.टी.पी.) को सत्यापित करने के उपरान्त नागरिक द्वारा अपना यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड बना लिया जायेगा।
4. डिजीटल लॉकर खोले जाने के उपरान्त नागरिक द्वारा अपना आधार नम्बर अपनी सहमति से लिंक किया जा सकता है।
5. उल्लिखित प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त डिजीटल लॉकर पोर्टल पर नागरिक का डिजीटल लॉकर खोल दिया जायेगा, जिसके पश्चात वह अपने सभी जरूरी दस्तावेज./डॉक्यूमेन्ट को **e-Sign** प्रणाली का उपयोग कर अपलोड कर सकता है।